मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्य पर)

	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	के लिए लक्ष्य	
	2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
1. राजस्व घाटा	4.4	4.8	3.0	1.5
2. राजकोषीय घाटा	6.0	6.8	5.5	4.0
3. सकल कर राजस्व	11.6	10.9	11.9	12.4
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	59.6	61.4	60.1	57.2

टिप्पणी:—

1. *"स.घ.उ." मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।*
2. *"कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दरों पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए, स्थिर विनिमय दरें मानी गई हैं।*
3. *2010-11 और 2011-12 के लक्ष्यों की तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को 2010-11 से क्रियान्वित करने के बाद समीक्षा की जाएगी।*

1. ऊपर प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय दृष्टिकोण से फरवरी, 2009 में अंतरिम बजट 2009-10 के साथ प्रस्तुत पूर्वानुमानों की तुलना में परिवर्तन का पता चलता है। वर्ष 2009-10 के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था में विकास के धुंधले परिदृश्य के सतत् संकेत के कारण ये परिवर्तन अनिवार्य हो गए। जिन असाधारण परिस्थितियों में ये घटनाक्रम घटित हुए, उन्हें विस्तृत रूप से अंतरिम बजट 2009-10 के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति कार्य योजना विवरण और वृहद-आर्थिक रूप रेखा विवरण में स्पष्ट किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने एक ही राजकोषीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार का अप्रत्याशित संकट कभी नहीं देखा। मौजूदा राजकोषीय वर्ष 2008-09 के पहले छह महीनों में, पेट्रोलियम उत्पादों सहित विश्व जिंस बाजार में मूल्यों में असाधारण बढ़ोतरी देखी गयी जिसके फलस्वरूप सरकार को भारतीय अर्थव्यस्था में स्फीतिकारी दबावों के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक नीतिगत उपायों के सामंजस्य में विभिन्न राजकोषीय और प्रशासनिक उपाय करने पड़े। भारतीय अर्थव्यस्था पर वैश्विक मूल्यों की बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में उठाए गए विभिन्न उपायों का विवरण राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण में दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों पर मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने के लिए खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों के लिए भी अधिक प्रावधान किया। इन उपायों से वैश्विक कीमतों के दबावों को कम करने के साथ-साथ 2008-09 की चौथी तिमाही तक मुद्रास्फीति को नीचे लाने में सहायता मिली है।

2. वर्ष 2008-09 के दौरान ऊपर वर्णित करों/शुल्कों (मुख्यतः अप्रत्यक्ष करों) में बजट पश्च दर कटौतियों और वर्धित सब्सिडी भार के फलस्वरूप, राजकोषीय वर्ष की पहली छमाही में अनुमानित राजस्व और राजकोषीय घाटा अपेक्षा से अधिक रहा। तथापि, प्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियों से संकेत मिले हैं कि इनमें पहली छमाही (ब.अ. 2008-09 में 17.1 प्रतिशत के अनुमान की तुलना में 2008-09 के पूर्वार्ध में 35.6 प्रतिशत बढ़ोतरी) में अनुमानित उच्च बढ़ोतरी से बजट पश्च घटनाक्रम की वजह से अप्रत्यक्ष करों में कमी तथा अतिरिक्त व्यय वचन-बद्धताओं के भार को राजकोषीय वर्ष की दूसरी छमाही में कुछ हद तक निष्प्रभावी किया जा सकेगा। लेकिन 2008-09 के उत्तरार्ध में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विफल हो जाने की एक भिन्न समस्या के रूप में सामने आयी। ठोस व्यापक आर्थिक आधारों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था भी सर्वाधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तरह , विकास दर में मंदी की वजह से प्रभावित हुई। 2008-09 में विकास दर कम होकर सामान्यतः 6.7 प्रतिशत रही जबकि पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त औसत लगभग 9 प्रतिशत था। अर्थव्यवस्था को उच्च विकास मार्ग पर रखने के लिए सरकार ने सुविचारित रूप से राजकोषीय नीति का उपयोग वैश्विक वित्तीय संकट के कारण उत्पन्न

स्थिति का सामना करने हेतु मांग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में करने का निर्णय किया। इन नीतिगत उपायों के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 में (अनन्तिम लेखे) राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा स.घ.उ. का क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत हो गया। एफआरबीएम नियमावली के अधीन अधिदेशित व्यवस्था के अनुरूप पिछले 4 वर्षों में राजकोषीय के समेकन के फलस्वरूप सरकार की कुल देनदारियां स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 2004-05 में 63.3 प्रतिशत से घटकर सं.अ. 2008-09 में 59.6 प्रतिशत हो गयी। यद्यपि ऋण तथा देनदारियों का यह स्तर अभी भी उच्च है, लेकिन एफआरबीएम व्यवस्था के दौरान इस सुधार ने निश्चित तौर पर मौजूदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान राजकोषीय नीति को दिशा देने हेतु अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश रख छोड़ी है।

3. वित्तीय वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान सरकार द्वारा किए गए उपायों से भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर ले जाने में सहायता मिली है, यद्यपि यह विगत हाल के निष्पादन की तुलना में कम रहा है। ये अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के प्रगतिपथ पर बढ़ने के प्रारंभिक संकेत हैं। सरकार का विचारशील दृष्टिकोण यह है कि सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रावधानों पर विशेष बल के साथ वर्धित लोक व्यय की राजकोषीय नीति और ग्रामीण एवं शहरी अवसंरचना का फास्ट ट्रैक आधार पर सृजन जारी रखा जाए। ब.अ. 2009-10 में अंतरिम बजट 2009-10 की तुलना में 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आयोजना व्यय का प्रावधान किया गया है। अधिकाशं अतिरिक्त व्यय का प्रावधान एनआरईजीएस, पीएमजीएसवाई, आरजीजीवीआई, एनआरएचएम, एआईबीपी, जेएनएनयूआरएम, आरकेवीवाई, टीयूएफएस आदि जैसी योजनाओं के लिए किया गया है । इन योजनाओं में वर्धित प्रावधानों का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था में माँग की वृद्धि करना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवसंरचना का सृजन करना है। सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में वर्धित प्रावधान का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक सुविधा प्रदान करना है।

4. आर्थिक मंदी के प्रभावों और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में नए बजट प्रस्तावों को ध्यान में रखने के साथ-साथ घटाई गई कर/शुल्क की दरों को जारी रखने से स.घ.उ. में सकल कर का अनुपात ब.अ. 2009-2010 में गिरकर 10.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से को हिसाब में लेने के पश्चात् केन्द्र को होने वाले कर राजस्व (निवल) के अंतरिम ब.अ. 2009-10 के 4,97,596 करोड़ रुपए से गिरकर ब.अ. 2009-10 में 4,74,218 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सकारात्मक पक्ष में, 3जी नीलमी के तहत दूरसंचार क्षेत्र से संभावित उच्च प्राप्तियों, भारतीय रिजर्व बैंक से केन्द्र सरकार को अधिशेष के अंतरण और बैंकों, पेट्रोलियम और इस्पात, जैसे कतिपय क्षेत्रों से वर्धित लाभांश प्राप्तियों के कारण कर-भिन्न राजस्व के अंतरिम ब.अ. 2009-10 में 1,11,955 करोड़ रुपए से बढ़कर आम बजट 2009-10 में 1,40,279 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कर-भिन्न राजस्व में अतिरिक्त प्राप्तियों की वजह से कर राजस्व में हुई कमी की क्षतिपूर्ति हुई है और इसके फलस्वरूप केन्द्र को होने वाली राजस्व प्राप्तियों के अंतरिम बजट 2009-10 में 6,09,551 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर आम बजट 2009-10 में 6,14,497 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस विकट वर्ष में भी राजस्व प्राप्तियां 2008-09 के अनंतिम अनुमानों की तुलना में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रही हैं। अर्थव्यवस्था के संभावित पुनरुद्धार से, स.घ.उ. के अनुपात में सकल कर 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 12.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

5. केन्द्र सरकार का कुल व्यय अंतरिम बजट 2009-10 में 9,53,231 करोड़ रुपए से बढ़कर आम बजट 2009-10 में 10,20,838 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 17.4 प्रतिशत है। वर्धित व्यय मुख्य रूप से मांग बढ़ाने के लिए अधिक आयोजना परिव्यय एवं खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी होने का कारण था। क्रमशः 4.8 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत पर राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा 2008-09 के अनंतिम अनुमानों की तुलना में आम बजट 2009-10 में और अधिक बदतर स्थिति दर्शाता है। यद्यपि यह राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा के निमित्त अधिदेशित लक्ष्य को हासिल करना परिलक्षित नहीं करता, मौजूदा परिस्थितियों में सुधार से राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया के अगले दो वर्षों में वापस पटरी पर आने की संभावना है। उभरती हुई स्थिति की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में मध्यमावधि में आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ख) राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियां

क) कर-राजस्व

6. स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व एफआरबीएम अधिनियम व्यवस्था के दौरान 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.6 प्रतिशत हो गया। इसके ब.अ. 2008-09 में पुनः सुधार होकर 13 प्रतिशत होने की आशा है। राजकोषीय वर्ष 2008-09 की पहली छमाही ने पिछले वित्त वर्ष की उसी अवधि की तुलना में सकल कर प्राप्ति में 25.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की। तथापि, अर्थव्यवस्था के विकास में मंदी और बजट पश्च कर/शुल्क दर कटौतियों के कारण, वर्ष 2008-09 के उत्तरार्ध के दौरान सकल कर प्राप्तियां वर्ष 2007-08 की दूसरी तिमाही की अपेक्षा 10.8 प्रतिशत कम थी। इसकी वजह से वर्ष 2008-09 (अनन्तिम) के दौरान समग्र कर प्राप्तियाँ घटकर 2.5 प्रतिशत हो गईं। राज्यों के अन्तरण तथा एनसीसीएफ के वित्त पोषण के अधिशेष को ध्यान में रखने के बाद केन्द्र का निवल कर राजस्व 4,47,726 करोड़ रुपए होगा।

7. विश्व अर्थव्यवस्था में व्याप्त अनिश्चितता और 2009-10 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके सम्भावित प्रभाव के मद्देनजर, सकल कर राजस्व में कम वृद्धि होने का अनुमान है और इसके आम बजट 2009-10 में 6,41,079 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 10.9 प्रतिशत है। यह 2008-09 के अनंतिम अनुमानों की तुलना में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

8. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों के ब.अ. 2009-10 में 3,70,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है जो 2008-09 (अनन्तिम लेखा) की तुलना में 9.1 प्रतिशत और स.घ.उ. के 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ ब.अ. 2009-10 में 2,71,079 करोड़ रुपए अनुमानित हैं जो 2008-09 के अनंतिम अनुमान के लगभग बराबर है और स.घ.उ. का 4.6 प्रतिशत हैं। सकल कर-स.घ.उ. अनुपात के 2010-11 में सुधरकर 11.9 प्रतिशत होने और 2011-12 में 12.4 प्रतिशत होने का अनुमान है जो इस प्रत्याशा के कारण है कि अर्थव्यवस्था सुधार के संकेत दिखाना शुरू करेगी।

9. बजट अनुमान 2009-10 में राज्यों को सुपुर्दगी और केन्द्र का निवल कर राजस्व क्रमशः 1,64,361 करोड़ रुपए और 4,74,218 करोड़ रुपए है।

10. पैरा क की सारणी में दर्शाए गए बजट अनुमान 2009-10 के लिए राजकोषीय संकेतक नए बजट प्रस्तावों पर आधारित हैं।

(ख) कर-भिन्न राजस्व

11. कर-भिन्न राजस्व के 2009-10 के अंतरिम बजट अनुमान में 1,11,955 करोड़ रुपए से बढ़कर 2009-10 के सामान्य बजट अनुमान में 1,40,279 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह कर-भिन्न राजस्व के 2008-09 के अनंतिम अनुमानों की तुलना में 44.7 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतया दूरसंचार क्षेत्र से 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी द्वारा प्रत्याशित प्राप्तियों की कारण है। इसके साथ ही, बैंकों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से होने वाली लाभांश प्राप्तियों और भारतीय रिजर्व बैंक से अधिशेष के अंतरण का अंतरिम बजट 2009-10 में दर्शाए गए स्तरों से बढना अनुमानित है। लाभांशों से प्राप्तियां और लाभ जो कर-भिन्न राजस्व के सबसे बड़े घटक हैं उनमें 2008-09 के बजट अनुमान में 43,204 करोड़ रुपए की तुलना में 2009-10 के बजट अनुमान में 49,750 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

12. विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अधीन ऋणों के सिवाय राज्यों को ऋण अदायगी से सम्बन्धित बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर मुख्य रूप से केन्द्र की वित्तीय मध्यस्थता से असम्बद्धता के कारण, मध्यावधि में राज्यों से ब्याज प्राप्तियों में कमी आने की सम्भावना है। साथ ही प्रोत्साहन से जुड़ी राज्य सरकारों की 7.5 प्रतिशत पर ऋण की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप कुछ और समय के लिए ब्याज प्राप्तियों में कमी की प्रवृत्ति बनी रहेगी। मध्यावधि में, कर भिन्न राजस्व में समग्र दृष्टि से आंशिक रूप से सुधार आने की आशा है, परन्तु सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, इसमें उत्तरोत्तर गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई देगी।

(ग) राज्यों को अन्तरण

13. राजकोषीय सुधारों को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन सहित बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के निर्णय राज्य सरकारों को कराधान सुधारों तथा व्यय प्रबन्धन के साथ त्वरित रूप में राजकोषीय सुधार करने के लिए सक्षम बना रहे हैं। छब्बीस राज्यों ने अपने एफआरबीएम कानून अधिनियमित किये हैं। टीएफसी ने यह अनुशंसा भी की है कि चीनी, तंबाकू और वस्त्रों पर बिक्री कर के बदले उपकर, अधिभार और संग्रहण की लागत को छोड़कर और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को मिलाकर केन्द्रीय करों/शुल्कों से कुल कर राजस्व के 30.5 प्रतिशत की सुपुर्दगी राज्यों को की जाएगी। तंबाकू को अब अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की सूची से बाहर निकाल दिया गया है और राज्यों को इस पर वैट लगाने की अनुमति दी गई है। टीएफसी ने यह भी सिफारिश की है कि यदि बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त शुल्कों के सम्बन्ध में किराया प्रबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा राज्यों को इन वस्तुओं पर बिना किसी सीमा निर्धारण के बिक्री कर (अथवा वैट) लगाने की अनुमति दी जाती है, तो हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग घटकर 29.5 प्रतिशत रह जाएगा। करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 2008-09 के संशोधित अनुमान में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिबिंबित करते हुए ब.अ. 2009-10 में 1,64,361 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय की अवधि 2009-2010 में समाप्त होने जा रही है। 2010-2015 की अवधि के लिए केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और उन पर सरकार के निर्णय द्वारा शासित होगी। तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट अक्तूबर 2009 तक प्राप्त होने की संभावना है।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋणों और अग्रिमों की वसूली

14. राज्यों को पहले दिए गए ऋणों के लिए प्राप्तियों की अदायगी कुछ समय बाद दो कारणों से कम होने का अनुमान है, (i) केन्द्र सरकार का धीरे-धीरे मध्यस्थता से हटना और (ii) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित ऋण समेकन और ऋण माफी योजना। पिछले कुछ समय से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को केन्द्र सरकार से उधार लेने की बजाए सीधे बाजार से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उच्च लागत वाले ऋणों का पूर्व समय-

भुगतान करने की अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार के ऋणों के संबंध में टीएफसी ने अपने निर्णय में ऋण समेकन और ऋण माफी के रूप में राज्य सरकारों को राहत दी है, बशर्ते कि राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाया जाए और उससे संबंधित विनिर्दिष्ट लक्ष्य हासिल किए जाएं। पीएसई से ऋणों की पुनर्अदायगी भी पीएसई की ओर से चूक की वजह से प्रभावित हुई है, जो या तो रुग्ण हैं या बीआईएफआर द्वारा उनका पुनरुद्धार हो रहा है। ब.अ. 2009-10 में ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2008-09 में 6,158 करोड़ रुपए की तुलना में 4,225 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ख) अन्य ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां

15. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरकारी पण्यधारिता की बिक्री द्वारा विनिवेश आय इस शीर्ष के अधीन प्राप्तियों का मुख्य स्रोत रहा है। तथापि, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना (एनआईएफ) तथा सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में न करने के निर्णय से भविष्य में नियमित ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों की अधिक संभावना नहीं है। राष्ट्रीय निवेश निधि लोक लेखा में है और निधियों का निवेश पेशेवर रूप में प्रबंधित चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों द्वारा मूल निधि की आय को रिक्त किए बगैर सतत प्रतिलाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। निवेश से प्राप्त आय का नियोजन लाभ अर्जन योग्य तथा पुनरुद्धार योग्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश आवश्यकता की पूर्ति हेतु और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को प्रोत्साहन देने वाली चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। 2009-10 के बजट अनुमान में विनिवेश प्राप्तियां 1,120 करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

(ग) उधार - लोक ऋण और अन्य देनदारियां

16. सरकार की उधार लेने की आवश्यकता राजकोषीय घाटे के स्तर द्वारा निर्धारित होती है, जो अनिवार्य रूप से केन्द्र सरकार के कुल व्यय और कुल ऋण-भिन्न तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच कवर न किए गए अन्तर को दर्शाता है। इस घाटे का वित्तपोषण मुख्यतः घरेलू लोक ऋण द्वारा और थोड़ी मात्रा में विदेशी ऋण और अन्य आंतरिक देनदारियों या नकदी के कम आहरण द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सरकार बाजार निर्धारित ब्याज दरों पर जुटाए गए संसाधनों द्वारा अपने घाटे के मुख्य भाग का वित्तपोषण कर रही है।

17. केन्द्रीय सरकार के घरेलू ऋण/देनदारियों में शामिल की गई दो अन्य मदें एनएसएसएफ में निवल अनुवृद्धि और बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत उधार हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की निवल अनुवृद्धि को इस प्रयोजन के लिए जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश द्वारा दि. 1.4.2007 से अपने विकल्प के अनुसार राज्य सरकार को अंतरित किया जाता है। तथापि, ये केन्द्र सरकार की देनदारियां हैं और इसलिए शामिल किया गया है। बाजार स्थिरीकरण स्कीम के तहत उधार बाजार में महत्वपूर्ण विदेशी अंतर्प्रवाह से मुख्यतया उत्पन्न नकदी की अधिकता कम करने के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में समग्र उच्च सीमा के भीतर भारत सरकार द्वारा जुटाए जाते हैं। विकसित हो रही मौद्रिक तथा वित्तीय बाजार दशाओं को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध में प्रारंभ बाजार स्थिरीकरण योजना खोली जा रही है। घााटे के वित्तपोषण के स्रोतों का ब्यौरा प्राप्ति बजट में दर्शाया गया है।

3. कुल व्यय

(क) राजस्व खाता

(i) आयोजना राजस्व व्यय

18. वित्तीय संकट से उत्पन्न समस्याओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर राजकोषीय वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध से अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने तथा उसे उच्च विकास की राह में वापस लाने के लिए, सरकार ने तीन राजकोषीय प्रोत्साहनों के रूप में कई राजकोषीय उपायों की घोषणा की। आधारभूत संरचना क्षेत्र में मांग और निवेश बढ़ाने के लिए आयोजना व्यय को बढ़ाना इन उपायों का एक भाग था। तद्नुसार आयोजना राजस्व व्यय अनुमान ब.अ. 2008-09 में, 2,09,767 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 2,41,656 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2008-09 के अनन्तिम लेखे में आयोजना राजस्व व्यय 2,35,176 करोड़ रुपए है, जो 2007-08 में आयोजना राजस्व व्यय की तुलना में 35.5 प्रतिशत अधिक है।

19. विकास की गति को जारी रखने हेतु सरकार का यह सजग निर्णय है कि वह वर्ष 2009-10 के दौरान चुनिंदा क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय में और बढ़ोतरी करे। इसलिए ,अंतरिम ब.अ. 2009-10 में राजस्व व्यय को 2,48,349 करोड़ रुपए से पुनः बढ़ाकर आम बजट 2009-10 में 2,78,398 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ब.अ. 2009-10 में आयोजना राजस्व व्यय के अनुमान ब.अ. 2008-09 की तुलना में 32.7 प्रतिशत और 2007-08 के वास्तविक आंकड़ों की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि दिखाते हैं। पिछले दो वर्षों में परिव्यय में इस

महत्वपूर्ण बढ़ोतरी से, हमारा केंद्रबिंदु अब वित्तीय परिव्यय से प्रभावी कार्यान्वयन और परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करना होगा। आयोजना व्यय में बढ़ोतरी मुख्यतः शहरी और ग्रामीण आधारभूत संरचना सहित सामाजिक क्षेत्र में अधिक आवंटन के कारण है। राजस्व में कमी और आयोजना भिन्न व्यय के विशिष्ट संघटकों पर उच्च देयताओं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वेतन वचनबद्धताएं, ब्याज दायित्व, सब्सिडी, रक्षा संस्थापना और पूंजी अधिग्रहण, आन्तरिक सुरक्षा, पेंशन आदि शामिल हैं, के बावजूद, समस्त महत्वपूर्ण विकासात्मक योजनाओं विशेषतः जो समाज के आम और वंचित वर्गों के लाभार्थ हैं, के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।

(ii) योजना-भिन्न राजस्व व्यय

20. योजना-भिन्न राजस्व व्यय के अधिकांश संघटक कठोर प्रकृति के हैं और अल्पावधि में उनमें लचीलापन नहीं होता है। तथापि, 2008-09 दौरान योजना-भिन्न व्यय में देखी गई तीव्र वृद्धि चालू वित्त वर्ष भी जारी है, जो व्यय के इस संघटक के विकास की गति के स्थायित्व के मुद्दे को केन्द्र बिन्दु बना देता है। योजना-भिन्न राजस्व व्यय जो ब.अ. 2008-09 में 4,48,352 करोड़ रुपए था, बढ़कर सं.अ. 2008-09 में 5,61,790 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, 2008-09 के अनन्तिम लेखों के अनुसार 5,56,521 करोड़ रुपए है। यह 2007-08 में योजना-भिन्न राजस्व व्यय की तुलना में 32.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसके अंतरिम ब.अ. 2009-10 में 5,99,736 करोड़ रुपए से और अधिक बढ़कर आम बजट 2009-10 में 6,18,834 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। (जो ब.अ. 2008-09 की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है) यह बढ़ोतरी मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अधिक वेतन और पेंशन, खाद्य सब्सिडियों और ब्याज अदायगी में बढ़ोतरी होने के कारण हुई है जो 2008-09 में नई राजकोषीय घाटे के कारण उत्पन्न हुई थी। योजना-भिन्न व्यय की मुख्य मदें नीचे दी गई हैं।

(क) ब्याज अदायगियां

21. विगत चार वर्षों में राजकोषीय समेकन के कारण केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति (निवल) के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई है जो 2003-04 में 47 प्रतिशत से 2007-08 में 31.6 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान घाटा बढ़ने और ब्याज दरों को बढ़ाने के कारण यह अनुपात 2008-09 अंनतिम अनुमान में घटकर 35 प्रतिशत हो गया। ब.अ. 2009-10 में इस अनुपात में और अधिक 36.7 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है। ब.अ. 2009-10 में ब्याज अदायगियों के 2,25,511 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का लगभग 36.4 प्रतिशत है। यह वृद्धि मुख्य रूप से 2008-09 के दौरान अधिक घाटे का वित्तपोषण करने के लिए अधिक उधार लिए जाने और तेल विपणन कंपनियों एवं उर्वरक कंपनियों को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज के कारण हुई। सरकार का प्रयास है कि कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगी को वहनीय स्तर पर लाया जाए।

(ख) रक्षा सेवाएँ

22. राजस्व खाते में रक्षा सेवा व्यय का बजट प्रावधान ब.अ. 2008-09 के 57,593 करोड़ रुपए से बढ़ाकर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण ब.अ. 2009-10 में 86,879 करोड़ रुपए करने का है।

(ग) मुख्य सब्सिडियाँ

23. वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार के सब्सिडी बिल में अप्रत्याशित उछाल देखा गया। ब.अ. 2008-09 में खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रमुख सब्सिडियों हेतु प्रावधान 66,537 करोड़ रुपए था; जो सरकार की निवल राजस्व प्राप्ति का 11 प्रतिशत था। तथापि, वैश्विक वस्तु बाजार में बजट पश्च घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की आर्थिक लागत में बढ़ोत्तरी हुई। इन उत्पादों की लागत में हुए अप्रत्याशित उछाल से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सब्सिडी संघटक प्रावधानों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी की गई है। उर्वरकों के लिए किए गए सब्सिडी प्रावधानों को ब.अ. 2008-09 के 30,986 करोड़ रुपए से बढ़ाकर सं.अ. 2008-09 में 75,849 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उर्वरक सब्सिडी के लिए अनंतिम अनुमान 2008-09 के लिए 76,606 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, 2008-09 के दौरान उर्वरक कम्पनियों को सब्सिडियों के बदले 20,000 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियां जारी की गई। इस प्रकार, उर्वरक सब्सिडियों के संबंध में कुल 96,606 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। इसी प्रकार संवेदी पेट्रोलयम उत्पादों की बिक्री पर कम वसूलियों के मुकाबले तेल विपणन कम्पनियों को प्रतिभूतियों को जारी करने के लिए 75,942 करोड़ रुपए के प्रावधान के दृष्टिगत पेट्रोलियम सब्सिडी हेतु कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 के दौरान 2,884 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अनंतिम लेखों 2008-09 में 78,794 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गेहूँ और चावल हेतु वर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसा कारक रहा जिसने खाद्य सब्सिडी बिल को ब.अ. 2007-08 के 31,328 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 44,182 करोड़ रुपए करने में योगदान किया है। इस प्रकार, इन तीनों मदों पर, 95,942 करोड़ रुपए की विशेष प्रतिभूतियों सहित, सब्सिडियों हेतु किया गया कुल प्रावधान ब.अ. 2008-09 के 66,537 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 (अनंतिम अनुमान) में 2,19,582 करोड़ रुपए कर दिया गया है जो सरकार की निवल राजस्व प्राप्ति का लगभग 40.3 प्रतिशत तथा स.घ.उ. का लगभग 4.1 प्रतिशत है।

24. इस पूर्वानुमान के साथ कि वैश्विक वस्तु बाजार में 2009-10 के दौरान वर्तमान कीमत का स्तर कायम रह सकता है, ब.अ. 2009-10 में उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान 49,980 करोड़ रुपए रखा गया है। ब.अ. 2009-10 में खाद्य सब्सिडी को 52,490 करोड़ रुपए किए जाने का अनुमान है। खाद्य सब्सिडी में वृद्धि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु की गई। तथापि, 2008-09 के अनंतिम अनुमान की तुलना में ब.अ. 2009-10 में कुल मुख्य सब्सिडियों (नकदी संघटक) में 1,05,579 करोड़ रुपए कम होने का अनुमान है जो स.घ.उ. का 1.8 प्रतिशत है। ब.अ. 2009-10 में तेल विपणन कंपनियों को भुगतान हेतु उन्हें कम वसूली की क्षतिपूर्ति करने के लिए सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियों के रूप में 10,306 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रकार ब.अ. 2009-10 में मुख्य सब्सिडियों के लिए कुल प्रावधान 1,15,885 करोड़ रुपए है जो स.घ.उ. का लगभग 2 प्रतिशत होगा। वर्तमान सब्सिडी व्यय का स्तर मध्यावधि से दीर्घावधि में कायम नहीं रखा जा सकता है। अतः इस व्यय को नियंत्रित करने हेतु उन उपायों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है जो भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में वर्धित निवेश के लिए और अधिक राजकोषीय गुंजाइश का सृजन करे।

(घ) राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान

25. राज्यों/संघ राज्यो क्षेत्रों को ब.अ, 2008-09 के 43,294 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न अनुदानों को बढ़ाकर ब.अ. 2009-10 में 48,570 करोड़ रुपए करने का अनुमान है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त किए जाने और मूल्यवर्धित कर लागू किए जाने के कारण होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की वचनबद्धता कायम रखी है। इस प्रयोजन हेतु, ब.अ. 2008-09 के 2,500 करोड़ रुपए और 3292.50 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले ब.अ. 2009-10 में 6,001 करोड़ रुपए और 3020.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) पूंजी खाता

(i) ऋण तथा अग्रिम

26. राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम केन्द्र सरकार द्वारा पहले प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों के मुख्य संघटक थे। राज्य सरकारों को ऋण के संबंध में, बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार द्वारा मध्यस्थता न करने अपितु राजकोषीय रूप से कमजोर राज्यों को, जो प्रत्यक्ष रूप से संसाधन जुटाने में असमर्थ हैं, उन्हें सहायता करने की अनुशंसा की है। राज्य अब सीधे बाजार से ऋण जुटा रहे हैं। विदेशी ऋणों का हालांकि, केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जाना जारी है। निवेश के लिए पुनर्गठन/पुनरुद्धार और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए बजटीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं।

(ii) पूँजी परिव्यय

27. परिव्यय पर कुल पूँजी व्यय के ब.अ. 2008-09 के 92,765 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 1,23,606 करोड़ रुपए होने की संभावना है। इसमें कुल आयोजना-भिन्न पूँजी व्यय ब.अ. 2009-10 में 76,855 करोड़ रुपए है। रक्षा पूँजी परिव्यय आयोजना-भिन्न पूँजी व्यय का सबसे बड़ा संघटक है और ब.अ. 2009-10 में इसके 54,824 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

28. आयोजना पूंजी व्यय ब.अ. 2008-09 के 33,619 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2009-10 में 46,751 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान परिदृश्य में जब पूंजी बाजार गहन और सुदृढ़ हो गया है, अधिकतर क्षमता वर्धन सरकारी-निजी भागीदारी तरीके के अंतर्गत पूंजी व्यय के रूप में हो रहा है। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने पूंजी व्यय का ज्यादातर भाग आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (रेलवे सहित) बजट अनुमान 2008-09 में 1,95,531 करोड़ रुपये से 6.4 प्रतिशत बढ़कर बजट अनुमान 2009-10 में 2,08,081 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

4. सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) वृद्धि

29. वर्ष 2008-09 के दौरान वार्षिक वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि (1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर) 2007-08 (त्वरित अनुमान) के दौरान 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में कम होकर 6.7 प्रतिशत (अग्रिम अनुमान) हो गई है। इन वर्षों के दौरान वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की मामूली वृद्धि दरें 12.7 प्रतिशत और 14.4 प्रतिशत हैं। इस प्रकार वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. 2007--08 में 47,23,400 करोड़ रुपये की तुलना में 2008-09 में 53,21,753 करोड़ रुपये है। विश्व अर्थव्यवस्था में विद्यमान अनिश्चितता के कारण, 2009-10 में वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि 6.51 प्रतिशत होने का अनुमान है। मुद्रास्फीति की संभावना को ध्यान में रखने के बाद 2009-10 के लिए (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) स.घ.उ. वृद्धि 10.05 प्रतिशत मानी गयी है। इसलिए 2009-10 के लिए (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) स.घ.उ. 58,56,569 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। आगामी दो वर्षों में यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था पुनरूद्धार के लक्षण दिखाने शुरू करेगी, वास्तविक स.घ.उ. वृद्धि क्रमशः 8 और 9 प्रतिशत मानी गयी है। मध्यमावधि मुद्रास्फीति की संभावना को ध्यान में रखने के बाद वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. वृद्धि 2010-11 और 2011-12 के लिए क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 13 प्रतिशत अनुमानित है।

(ग) निम्नलिखित से संबंधित निरंतरता का मूल्यांकन

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

30. जब अर्थव्यवस्था 2004-08 के दौरान विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रही थी, तब राजस्व प्राप्ति में हुई वृद्धि राजस्व व्यय में हुई वृद्धि से अधिक हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटे का अनुपात 2003-04 में 3.6 प्रतिशत से सुधरकर 2007-08 में 1.1 प्रतिशत पर लाने में कामयाबी मिली। तथापि, विगत तीन वर्षों में प्रवृत्तियों को उलटते हुए राजस्व व्यय में वृद्धि ने राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को पछाड़ दिया जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 में राजस्व घाटा और बढ़ गया। कर/शुल्क दरों में कटौती करके वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव कम करने के लिए किए गए उपायों और स.घ.उ. की कम वृद्धि दर के साथ व्यय की वचनबद्धताओं में हुई वृद्धि के कारण, केन्द्र को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों (निवल) में 2007-08 की तुलना में 2008-09 में केवल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2007-08 की तुलना में 2008-09 में (अनन्तिम लेखा) राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण 33.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व घाटा 2008-09 में और कम होकर स.घ.उ. का 4.6 प्रतिशत हो गया। राजस्व घाटे में यह ह्रास मुख्यतया बढ़ा हुआ सब्सिडी बिल, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के कारण बढ़ा हुआ वेतन बिल और मांग बढ़ाने तथा आर्थिक वृद्धि की गति को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदान किए जाने वाले राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की वजह से अतिरिक्त व्यय सबन्धी वचनबद्धता को पूरा करने के कारण है। संभव है कि संकट की अवधि के दौरान राजकोष में हुई वृद्धि का स्तर दीर्घावधिक अवधि में न बना रहे; हालांकि, तस्वीर का उजला पक्ष यह है कि इन उपायों से परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। 2008-09 जैसे कठिन वर्ष में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत थीं, भारत ने स.घ.उ. में 6.7 प्रतिशत विकास दर दर्ज की और यह विश्व में दूसरी तीव्र विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है।

31. जहां वर्ष 2009-10 में भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं धुंधली हैं, वहीं भारत के स.घ.उ. -सकल कर अनुपात में भी 2009-10 में सुधरने की संभावना नहीं है। आगे उठाए जाने वाले किए गए प्रेरक उपाय के तौर पर निरंतर अधिक आयोजना परिव्यय और बढ़े हुए वेतन बिल के रूप में अधिक व्यय वचनबद्धताओं के साथ राजस्व घाटा 2009-10 के बजट अनुमान में स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। 2009-10 के बजट अनुमान में कुल व्यय स.घ.उ. का 17.4 प्रतिशत अनुमानित है जबकि राजस्व प्राप्तियां गिरकर स.घ.उ. के 10.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। चूंकि आयोजना परिव्यय में कटौती से अर्थव्यवस्था की वृद्धि में और गिरावट के साथ-साथ यह समाज के संवेदनशील वर्गों को आर्थिक मंदी के प्रभाव में अनाश्रित छोड़ देगी इसलिए सरकार ने यह सुविचारित निर्णय लिया है कि 2009-10 में राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग से अस्थायी रूप से हटकर एफआरबीएम नियम के तहत अधिदेशित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक को समायोजित किया जाए। यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में सुधार होना प्रारम्भ हो जाएगा, राजकोषीय घाटे के 2010-11 और 2011-12 के अनुमानों को एफआरबीएम नियमों के तहत अधिदेशित स्तर पर लाया जा सकेगा।

(ii) उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग।

32. पिछले वर्ष की प्रवृत्ति को पलटते हुए 2008-09 के दौरान 6,06,019 करोड़ रुपये का आयोजना-भिन्न व्यय 5,51,355 करोड़ रुपये की ऋण-भिन्न प्राप्ति (जिसमें 5,44,651 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा 6,704 करोड़ रुपये की ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्ति शामिल हैं) से अधिक हो गया। यह प्रवृत्ति ब.अ. 2009-10 में भी जारी रहने का अनुमान है। इससे यह पता चलता है कि सरकार को आयोजना-भिन्न व्यय की वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए भी उधार लेना पड़ता है। यह हमें फिर से व्यय के घटकों की संरचना में संरचनात्मक समस्या के मुद्दे पर ला खड़ा करती है, जिसका समाधान न किए जाने पर यह विकासात्मक कार्यों को किए जाने के लिए राजकोषीय व्यय की गुंजाइश को और कम कर देगा। सरकार पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे का समाधान करेगी।

33. ब.अ. 2009-10 में 3,25,149 करोड़ रुपये का कुल आयोजना व्यय 4,00,996 करोड़ रुपए के अनुमानित राजकोषीय घाटे का लगभग 81.08 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि वर्ष 2009-10 के दौरान निवल उधारों के लगभग 19 प्रतिशत का प्रयोग आयोजना-भिन्न व्यय को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मध्यावधि में विकासात्मक व्यय की वित्त व्यवस्था हेतु उधारों पर निर्भरता बनी रहेगी। हालांकि, सरकार आयोजना-भिन्न व्यय खास तौर पर आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण प्राप्तियों का उपयोग न करने का प्रयास करेगी। प्रयास यह है कि स.घ.उ. ऋण का अनुपात धीरे-धीरे कम करके वहनीय स्तर पर लाया जाए।

34. राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया जारी रखने का अगला कार्य सचमुच अधिक चुनौतीपूर्ण है, खास तौर पर राजस्व घाटा कम करने का कार्य। तेरहवें वित्त आयोग को अतिरिक्त विचारार्थ विषय के माध्यम से यह अधिदेशित किया गया है कि वह राजकोषीय समायोजन की कार्ययोजना की समीक्षा करे तथा 2010 से 2015 के दौरान विशेष रूप से तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के मद में केन्द्र सरकार की देयताओं को राजकोषीय लेखांकन में लाने की जरूरत और घाटे के लक्ष्यों के संबंध में केन्द्र सरकार की विभिन्न बाध्यताओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजकोषीय समेकन के लाभ बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त संशोधित कार्ययोजना का सुझाव दें। राजकोषीय समेकन 2004-08 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से राजस्व प्रेरित था, इसलिए आर्थिक विकास में आई कमी से जब राजस्व प्राप्ति की तेजी में गिरावट आई तब इससे दबाव की स्थिति सृजित हुई। अब राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया वहनीय बनाने तथा राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-सृजनात्मक साम्यता लाने के लिए व्यय संबंधी सुधार पर फोकस करना चाहिए।